

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

99/16-553

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजलूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- 20/1551, थाना- , खाता संख्या- 02, प्लॉट संख्या- 553

रकबा- 2.216 एकड़ की भूमि जो गैरमजलूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 148 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

## संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :-

मोसफिर मिर्जा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

S/O मोसफिर मिर्जा  
6m. 10/10/10

मौजा  
मौजा

थाना सं०

खाता सं०

प्लॉट सं०

02

553

2. = 16

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-...148 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 02/03

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- S/O. S/O. S/O.

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान

निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - 18/02/02

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या

2

लगान रसीद संख्या

1765402

रसीद निर्गत तिथि

19/10/2011

वसूली वर्ष

2002-03 + 02/02/11

*Pran*

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय  
वाद अभिलेख संख्या .....77...../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)  
नोटिस

बनाम मौलाना रिजो 40 मौला रिजो  
शाह - नौदहा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा नौदहा, थाना नं०.....  
खाता नं०.....02...खेसरा नं०...553...रकबा...2716... से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....  
पंजी भाग के पृष्ठ .....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक  
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक ..... को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म  
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं त  
साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ  
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क  
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के  
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी ।

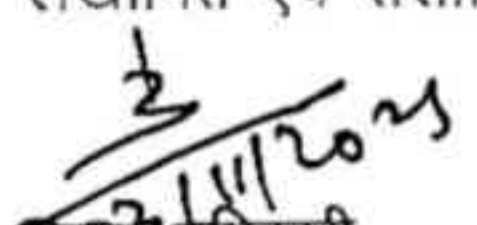
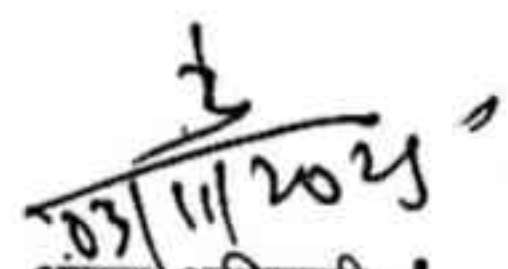
इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24.11.21  
अंचल अधिकारी  
अंचल अधिकारी  
मनातू, पलामू

| आदेश की क्र०स० एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                |
| 03/11/2025              | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-नौडिहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-2, प्लॉट सं०- 553/1, 553/2, 553/3 रकबा क्रमशः 0.36 ए०, 0.80ए०, 1.00 ए० कुल रकबा 2.16 ए० पर मोसाफिर मियां पिता स्व० मौला मियां के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 181/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा-नौडीहा थाना नं०-346 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-2, प्लॉट सं०- 553/1, 553/2, 553/3 रकबा क्रमशः 0.36ए०, 0.80ए०, व 1.00 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत मोसाफिर मियां पिता स्व० मौला मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडीहा के मांग पंजी II के पेज सं० 148/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।”</p> <p>अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> अधीनस्थ अधिकारी,<br/>मनातू। </div> <div style="text-align: center;"> <br/> अंचल अधिकारी,<br/>मनातू। </div> </div> |                                  |

सेवा में,  
अनवर कापिलारी  
मनार, पल्लु।

विषय:- अकेध / अकेधियन अमावसी केशन ॥ १६-१७ अ  
ऑन मरिनेन के अंश में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के अंश में कहना है कि मौजा  
मौडिहा में जाकर राजस्व कागजात एवं तमसा अ मिलान  
करके अमल अमीन के सान स्थलीय ऑन मिला। ऑन

मौजा नि १० खास खाला खे २ प्लॉट खे ५५३/१, ५५३/२,  
५५३/३ खस-कमरा: ०.३६ खे, ०.८० खे, १.०० खे कुल

खस २.१६ खे पर मोसाफिर मिला पिला खे मौला मिला  
के द्वारा जोर-झोर मिला आ रहा है। उनके द्वारा ऑन के  
द्वारा वन्दोपसी पचा एवं निर्गत रखी प्रस्तुत मिला गया  
है जिससे पता चलता है कि अनु पचा के वन्दोपसी  
का खे १८१/०२-०३ के अन्तर्गत दिनांक ११-०७-०३ को  
मौजा मौडिहा खाना १० ३४६ के अन्तर्गत इस खाला खे २  
प्लॉट खे ५५३/१, ५५३/२, ५५३/३ खस-कमरा: ०.३६ खे,  
०.८० खे व १.०० खे की वन्दोपसी इस खे १०० मोसाफिर  
मिला पिला खे मौला मिला के नाम से हुआ है, जिसका  
अमावसी मौजा मौडिहा के मांग पजी ॥ के पेज खे १४८/२  
पर दर्ज होकर वर्ष २०११-१२ तक रखी निर्गत हो  
रहा है। इस प्रकार उक्त अमावसी अकेधियन / अकेध  
मिली नहीं होता है।

अतः उक्त अमावसी को अकेधियन / अकेध  
अमावसी खे मूल मिला आ रहा है।

अनवर कापिलारी  
मनार, पल्लु

१८/८

विश्वासभाजन  
चौरेन्द्र शर्मा  
२०० ३०/१०  
हस्ता - ११

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मोदीगढ़ जिला पलामू

गैर मजदूरा आम/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 181/10203

परवाना संख्या- 20

बन्दोबस्तधारी का नाम मोसाफिल मिश्रा पिता का नाम स्व. मोला मिश्रा

ग्राम नीडीह थाना मनातु जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

| ग्राम        | खाता न०  | खेसरा न०   | रकबा        | चौहद्दी               | लगान        |
|--------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| <u>नीडीह</u> | <u>2</u> | <u>553</u> | <u>0.36</u> | <u>30 पल्ली नजी</u>   | <u>1820</u> |
|              |          | <u>553</u> | <u>0.80</u> | <u>30 नजी पल्ली</u>   | प्रतिवर्ष   |
|              |          | <u>2</u>   | <u>1.00</u> | <u>40 पल्ली पल्ली</u> | अलावे सेस   |
| <u>346</u>   |          | <u>553</u> | <u>2.16</u> | <u>40 पल्ली पल्ली</u> | वगैरह       |
|              |          | <u>3</u>   |             | <u>40 पल्ली पल्ली</u> |             |

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्तों के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल कब्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदाय करेगा/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत में योग होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तान्तरण वैध नहीं होगा।

बन्दोबस्त भूमि की सांस्थिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाला का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी

24-10-23

Sch. XIV-F No. 180Y

मिठा का नाम 40/10

अनुसूचित का नाम मधुसूदन

अंश का नाम 40/10

नम सहीत: नम पीठा मय - 10/10

सहीत का नाम नम 10/10

V

गोद मालगुजारी

फारद मालगुजारी/फारद रीयत

गाम रीयत मय बलिदय: मालगुजारी

का अनुसूचित नम्बर 18

414965432

| राज्य संख्या | समाप्त संख्या           |
|--------------|-------------------------|
| 2            | 10/10 10/10 10/10 10/10 |

| अनुसूचित नम्बर 02-16 | अनुसूचित मालगुजारी | समाप्त मालगुजारी |
|----------------------|--------------------|------------------|
| मालगुजारी            | मालगुजारी          | मालगुजारी        |

गाम का सालाना मालगुजारी मय अनुसूचित (मालगुजारी का नाम) मालगुजारी मालगुजारी

| गाम का नाम | मालगुजारी   | मालगुजारी              |               |              |            | मालगुजारी |
|------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|
|            |             | तीन वर्ष में मालगुजारी | अनुसूचित वर्ष | द्वितीय वर्ष | प्रथम वर्ष |           |
| गाम        | (मालगुजारी) | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     |
| मालगुजारी  | (मालगुजारी) | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     |
| मालगुजारी  |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     |
| मालगुजारी  |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     |
| मालगुजारी  |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     |
| मालगुजारी  |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     |

| अनुसूचित का नाम | मालगुजारी   | मालगुजारी              |               |              |            | मालगुजारी | मालगुजारी |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                 |             | तीन वर्ष में मालगुजारी | अनुसूचित वर्ष | द्वितीय वर्ष | प्रथम वर्ष |           |           |
| गाम             | (मालगुजारी) | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     | 10/10     |
| मालगुजारी       | (मालगुजारी) | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     | 10/10     |
| मालगुजारी       |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     | 10/10     |
| मालगुजारी       |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     | 10/10     |
| मालगुजारी       |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     | 10/10     |
| मालगुजारी       |             | 10/10                  |               |              | 10/10      | 10/10     | 10/10     |

(1) मालगुजारी कुल (मालगुजारी का नाम) मालगुजारी मालगुजारी

(2) मालगुजारी - मालगुजारी

(3) मालगुजारी

मालगुजारी का नाम मालगुजारी मालगुजारी